



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

एम्प-2023-24
एम्प-2023-24
एम्प-2023-24
एम्प-2023-24
एम्प-2023-24
एम्प-2023-24
एम्प-2023-24

Certificate No. : IN-UP98754894454137Y
Certificate Issued Date : 25-Jul-2023 11:37 AM
Amount Reference : NEWIMPACC (SV) 40145278904 KHALILABAD SADAR UP SKS
Original Doc. Reference : SUBIN-UPUP1452749043260002563191Y
Purchased By : PRINCIPAL A V M COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document : आम्र कान्ठस
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : PRINCIPAL A V M COLLEGE OF PHARMACY
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : PRINCIPAL A V M COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount (Rs.) : 100
(One hundred only)

1000
258923
A V M College of Pharmacy
Khalilabad
U.P.



शपथ-पत्र
(प्रासप-अ)

हम सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष एवं प्रबन्धक परमाला प्रसाद पाण्डेय ए०बी०एम० शिक्षा एवं सेवा संस्थान, खलीलाबाद, संतकबीर नगर शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा 'ए०बी०एम० कॉलेज ऑफ फार्मसी' नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम मटिहना, खलीलाबाद-संत कबीर नगर में गाटा संख्या- 9 एवं 10 रकबा 0.6100 हेक्टेयर (6100 वर्ग मीटर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और वह भूमि विवाद रहित है।

कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 9 एवं 10 कुल रकबा 0.6100 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव हमारी सोसाइटी की बैठक दिनांक 28/06/2022 द्वारा पारित किया गया है।



5 यह कि, उपरोक्त भूमे पर ही प्रस्तावित जिलेसा कार्मिसे संस्थान के संघालन हेतु सभने का निर्णय अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।

6 यह कि, निर्देशन समिति के समक्ष उपरोक्त भूमे पर सौदागरी के नाम भूमि एवं इस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निर्देशन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

7 यह कि, भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मिसे कार्पोरेशन आरु इण्डिया, नई दिल्ली की नियती के अन्तर्गत ही जिलेसा कार्मिसे संस्थान का संघालन किया जाएगा।

8 यह कि, इस संस्था में फार्मिसे कार्पोरेशन आरु इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रामाणिक किया परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रणाली के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जाएगा।

9 यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मिसे कार्पोरेशन आरु इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रामाणिक किया परिषद से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विद्याविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/ महाविद्यालय/ आई० टी० आई आदि का संघालन न तो पूर्व में किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।

10 यह कि संस्थान के संघालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, ड्रॉइंगरूम आरु कार्पोरेशन आरु इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्रामाणिक किया परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।

11 यह कि, संस्था के संघालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अतिरिक्त स्टॉफ की तैयारी सेल्फ्टी द्वारा सत्र आरम्भ से पूर्व कर लिया जाएगा।

12 यह कि शासन/ परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/ आदेशों का भलीभांति पालन होगा। जो से संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाये जाते है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा और मुझे पत्र होगा।

13 मैं घोषणा करता हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी से दून का है सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा झुठे/गुप्त पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्रवाही की जा सकेगी ऐसे ही ही कार्रवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

पुनः
इलाहाबाद प्रथमक

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

(Signature)
मार्च २०१३



9893

(Signature)
Date and place of the document
2013